

बिहार विधान-सभा वादव्यूत

(भाग-२ कार्यवाही - प्रश्नोत्तर रहित ।)

शुक्रवार, तिथि २५ मार्च, १९७७

विषय सूची

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव (प्रस्तुत करने की अनुमति दी गयी)	...	पृष्ठ १-३
अत्यावश्यक लोक महत्त्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उसे पर सरकारी वस्तुव्यय: दरभंगा में विद्युत परिषद् के कार्यालय के लिए जमीन की खरीदगी		३ ८
सभा भेज पर रखे गये कागजात :		
(१) संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, १९७६ :	...	८
(२) बिहार राज्य विद्युत वर्षद का १९७२-७३ का वार्षिक प्रतिवेदन :		८
आय-व्ययक ।		
(१) १९७७-७८ वर्ष के वार्षिक आय-व्ययक का उपस्थापन :		८-१९

७९२ (उन्नीस लाख, सोलह हजार, सात सौ पचान्हे) रुपये से अधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

चिकित्सा एवं परिवार-नियोजन ।

सभापति श्री राधानन्दन झा :—प्रश्न यह है द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 'चिकित्सा एवं परिवार-नियोजन' के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग अधिनियम, १९७६ तथा बिहार विनियोग (संख्या ३) अधिनियम, १९७६ द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त ६,३०,९२,६५५ (छः करोड़, तीस लाख, बान्हे हजार, छः सौ पचपन) रुपये से अधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक-स्वास्थ्य, सफाई, जलापूर्ति एवं नगर विकास

सभापति श्री राधानन्दन झा :—प्रश्न यह है कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 'लोक-स्वास्थ्य, सफाई, जलापूर्ति एवं नगर विकास' के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग अधिनियम, १९७६ तथा बिहार विनियोग (संख्या ३) अधिनियम, १९७६ द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त १,२८,१९,००० (एक करोड़, अठाइस लाख, उन्नीस हजार) रुपये से अधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सूचना, प्रचार एवं पर्यटन ।

सभापति श्री राधानन्दन झा :—प्रश्न यह है कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए

“सूचना, प्रचार एवं पर्यटन” के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग अधिनियम, १९७६ तथा बिहार विनियोग (संख्या ३) अधिनियम, १९७६ द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त २,७७,००० (दो लाख, साठ हजार) रुपये से अधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रम और रोजगार।

सभापति श्री राधाकृष्णन झा :—प्रश्न यह है कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “श्रम और रोजगार” के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग अधिनियम, १९७६ तथा बिहार विनियोग (संख्या ३) अधिनियम, १९७६ द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त ८,२२,८४० (आठ लाख, बाइस हजार, आठ सौ चालीस) रुपये से अधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण।

सभापति श्री राधाकृष्णन झा :—प्रश्न यह है कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “सामाजिक सुरक्षा और कल्याण” के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग अधिनियम, १९७६ तथा बिहार विनियोग (संख्या ३) अधिनियम, १९७६ द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त १८,२६,२७९ (अठारह लाख, छब्बीस हजार, दो सौ उन्नासी) रुपये से अधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।